

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर  
Continuation Note Sheet

आगदित के बाद वादी आशिक स्वीकार किया जाकर  
वादी एवं काउटरक्लेम प्रस्तुत कृती प्रतिवादी सं. ५  
की हक तक निर्दिष्ट किया जाता है। तदुपरील  
श्रीगंगानगर प्रतिवादी सं. २ के काउटरक्लेम  
के सम्बन्ध में संशोधित विभाजन प्रस्ताव  
प्रेषित करे। तदुपरीलद्वारा श्रीगंगानगर को प्रतिवादी  
सं. २ की शक्ति का विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने  
का मत फल जारी हो। बाद वादी एवं काउटरक्लेम  
के प्रस्तुत कृती प्रतिवादी सं. ५ मुताबिक तदुपरील  
श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार स्वीकार  
किया जाकर बाद आशिक डिस्क्रि किया जाकर  
किष्कि प्रथम सं. निरवाण जाकर शामिल पत्रावली  
किया जाये। स्टाम्प ड्यूटी पर होने पर डिस्क्रि  
पत्र जारी किया जाये। स्टाम्प ड्यूटी पर होने  
डिस्क्रि पत्र जारी किया जाता है। तदुपरीलद्वारा  
श्रीगंगानगर के काउटरक्लेम प्रस्तुत कृती प्रतिवादी  
सं. २ की शक्ति का प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु  
पत्र जारी हो। पत्रावली वास्तव में होने  
संशोधित विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादी सं. २  
दिनांक 03.06.25 को प्रेषित हो।